संख्या-6/136/इक्कीस-उर्दू-1-2014(99/2014)

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 दिनांकः 11 नवम्बर,2014

विषयः-उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में नियुक्त महानुभावों को मानदेय भत्ते एंव अन्य सुविधाएं दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-4457/दस- 2007-16/97 दिनांक 19 नवम्बर,2007 द्वारा यथा संशोधित शासनादेश सं0बी-1-3990/10-2007-16/97 दिनांक 09 अक्टूबर,2007 के क्रम में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में नामित चेयरमैन, श्री नवाज देवबन्दी को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानेदय, भत्ते एंव अन्य सुविधायें निम्नलिखित रूप से दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- वेतन/मानदेय-

(1) चेयरमैन को रू0 40,000/- प्रतिमाह नियत वेतन/मानदेय।

(2) चेयरमैन को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होगी किन्तु दौरे के समय सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(3) वाहन सुविधा/भत्ता-

चेयरमैन को एक सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य होगी। गैर सरकारी सदस्यों को सरकारी वाहन/वाहन भत्ते की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) <u>यात्रा भत्ता-</u> चेयरमैन सहित सदस्यों को मुख्यालय पर होने वाले बैठकों में भाग लेने हेतु बाहर से आने की दशा में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/प्रासंगिक व्यय उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा जैसी वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एंव सुसंगत आदेशों में सरकारी अधिकारियों के संबंध में विहित की गयी हों।

(5) <u>अवकाश एंव अवकाश नकदीकरण-</u>
चेयरमैन को सरकारी कर्मचारियों की भांति अवकाश अनुमन्य होगा और कोई नकदीकरण अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ ही कोई अन्य प्रतिकर भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(6) <u>टेलीफोन सुविधा-</u> चेयरमैन को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25,000/-वार्षिक अनुमन्य होगी।

(7) <u>चिकित्सा सुविधा-</u> चेयरमैन को प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

2- उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1286/दा-2014 दिनांक 10 नवम्बर,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-136/21-उर्दू-1-2014 (99/2014)तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी।
2- सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- श्री नवाज देवबन्दी,चेयरमैन, उ0प्र0 उर्दू अकादमी, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, भाषा विभाग।
6- महालेखाकार, लेखा एंव हकदारी,उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7

11- गार्ड फाइल।

12- निदेशक,राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in